

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, सोनुआ ।

आदेश फलक

(दस अतिरिक्त संशोधन अधिनियम 129)

अतिरिक्त अधिनियम सं0 17 / 2020-2021

आदेश की क्रम सं0  
आर तारीख

आदेश और फलकिकारी का तस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
करवाई के बारे में  
टिप्पणी, तारीख सहित

1

2

3

12.11.20

सजस्य उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक, सोनुआ के जॉय प्रतिवेदन के अनुसार मौजा विनका थाना नं0 -140, खाता सं0 -109, खंशस सं0 -452 रुकवा - 0.02 ए0 किरम जमीन-पुसनी परती कविल आबाद जो हाल सवै खलियान में अनाबाद डारखण्ड सरकार के गैर मजख्वा खास भूमि है । उक्त भूमि में श्री मनोज महतो पिता - जयकृष्ण महतो निवासी विनका के द्वारा अवैध रूप से खलियान का निर्माण किया जा रहा है ।

अंचल अगिन को निदेश दिया जाता है कि अतिक्रमिit भू-खण्ड का ट्रेश रक्शा प्रस्तुत करें । डारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत अतिक्रमणकारी को नोटिस निर्गत करें ।

अगिलेख दिनांक 28.11.2020 को उपस्थापित करें ।

लेखापित

अंचल अधिकारी  
सोनुआ ।

अंचल अधिकारी  
सोनुआ ।

पदाधिकारी का आदेश एवं उनकी कार्रवाई

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। अमीन के द्वारा प्रश्नगत भूमि का टेंस नक्शा प्राप्त है।  
1.7.2021 अतिक्रमणकारी श्री मनोज कुं० महतो पिता- जयकृष्ण महतो निवासी विनका द्वारा उपस्थित  
होजर अनुरोध किया है कि उनके द्वारा मौजा- विनका के खाला- 109, खेसरा सं०- 452  
एकवा 0.02 ए० भूमि पर अस्थायी रूप से खलियान का निर्माण किया गया है, जिसे वो  
जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में खाली कर देंगे। चूंकि सरकारी भूमि पर खलियान का  
निर्माण अस्थायी रूप से किया गया है

अतः अतिक्रमणकारी के आवेदन पर विचार करते हुए उन्हें अतिक्रमण हटाने  
हेतु एक माह का समय दिया जाता है। एक माह के पश्चात राजस्व उप निरीक्षक का  
प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक- 07.01.2021 को उपस्थापित करें।

लेखापित

अंचल अधिकारी  
सोनुआ

अंचल अधिकारी  
सोनुआ।

1.7.2021

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का जॉच  
प्रतिवेदन प्राप्त है। अवलोकन किया। जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-  
विनका, थाना नं०- 140, खाला नं०- 109, खेसरा नं०- 452 एकवा- 0.02 ए० भूमि से  
अतिक्रमण हटा दिया गया है, तथा वर्तमान में भूमि खाली है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

अंचल अधिकारी  
सोनुआ

अंचल अधिकारी  
सोनुआ।